

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल

क्रमांक 1023-45/स्था/अराज-5/2022

भोपाल, दिनांक 6/01/2022

// अनापत्ति प्रमाण-पत्र //

—000—

गांधी चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल में कार्यरत स्टाफ नर्स से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-एफ 2/57/2018/55-1 दिनांक 30 सितम्बर 2018 में वर्णित बिन्दु-1 से 4 तक के नियम के अंतर्गत आपसी सहमति से पारस्परिक अदला-बदली के आधार पर नवीन नियुक्ति के लिए आवेदन करने हेतु निम्न शर्त पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नानुसार जारी किया जाता है।

क्र	कर्मचारी का नाम	पदस्थापना स्थल	संस्था का नाम जहां जाना चाहते हैं।
1	कुमारी रोशनी विडारे	हमी0चिकि0भोपाल	स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा
2	पूनम पटेल	हमी0चिकि0भोपाल	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर
3	राधा चीचक	हमी0चिकि0भोपाल	चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल
4	निधि चौरसिया	हमी0चिकि0भोपाल	अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा
5	ज्योति भल्लावी	हमी0चिकि0भोपाल	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर
6	निशीगंधा राजेश	हमी0चिकि0भोपाल	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर
7	रीना राठौर	हमी0चिकि0भोपाल	स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा
8	पूजा मिश्रा	हमी0चिकि0भोपाल	श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा
9	निशा मिश्रा	हमी0चिकि0भोपाल	श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा
10	विमला पटेल	हमी0चिकि0भोपाल	श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा
11	सजनी	हमी0चिकि0भोपाल	महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर
12	नेहा कुमरे	हमी0चिकि0भोपाल	श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा
13	लता माझी	हमी0चिकि0भोपाल	चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल
14	लक्ष्मी पटेल	हमी0चिकि0भोपाल	श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा
15	अर्चना साहू	हमी0चिकि0भोपाल	श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा

1. पारस्परिक नियुक्ति के आवेदन समान पद एवं समान संवर्ग के लिये होना चाहिए, ऐसे आवेदन पत्रों पर संबंधित दोनों आवेदकों के हस्ताक्षर होना चाहिये।
2. पारस्परिक नियुक्ति के प्रकरणों में दोनों आवेदकों को संबंधित महाविद्यालयों में चयन किया जाने की दशा में संबंधित महाविद्यालय ऐसे आवेदकों को नवीन नियुक्ति दे सकेगा।
3. नवीन नियुक्ति दिये जाने की दशा में पूर्व महाविद्यालय में की गई सेवा का वेतन संज्ञान में लेते हुये चयनित व्यक्ति का वेतन निर्धारित किया जा सकेगा।
4. उक्तानुसार वरीयता निर्धारण के लिये नवीन नियुक्ति मानी जावेगी और ऐसी नियुक्ति पालन में महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरीयता निर्धारित होगी।
5. उपरोक्त अनापत्ति पत्र दोनों आवेदकों द्वारा अपने अपने नवीन कार्यस्थल पर चयनोपरांत कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में ही पूर्ण प्रभावी मान्य होगी। दोनों आवेदकों में से एक भी आवेदक द्वारा अपनी नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वमेव निरस्त माना जायेगा एवं आवेदकों को अपने मूल नियुक्ति स्थल पर पुनः कार्यभार ग्रहण करना होगा।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल

पृ. क्रमांक 1023-45 / स्था / अराज-5 / 2022

भोपाल, दिनांक.....6..... / 01 / 2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संभागायुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, स्वशासी समिति, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
2. अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा / जबलपुर / शहडोल / विदिशा / रीवा / इंदौर की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मेड्रन, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. संबंधित कुमारी / श्रीमती स्वशासी स्टाफ नर्स द्वारा:- संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. आदेश नस्ति / व्यक्ति नस्ति।

Ar
06/01/2022

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल